

## खण्ड-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टतां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं।





सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टतां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यक्रम घंटे सम्मिलत हैं।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा लोक उपयोग हेतु कार्यालय भवन में पुस्तकालय की स्थापना की गयी है। जिसमें हिन्दी, लोकभाषाओं से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध है, जिन्हें किसी भी कार्यदिवस में पुस्तकें वाचन करने की सुविधा उपलब्ध है। संस्थान पुस्तकालय हेतु उर्दू, पंजाबी व अन्य लोकभाषाओं से संबंधित पुस्तकें क्रय किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही संस्थान के पुस्तकालय में पुस्तकों का डिजिटलाईजेशन कर शीघ्र ई-लाइब्रेरी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का सूचना पट कार्यालय में नागरिकों की सुविधा के लिए लगाया गया है। जिसमें लोक उपयोग हेतु किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभिलेख, मैनुअल आदि अवलोकन कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। यदि इस संबंध में उन्हें परामर्श की आवश्यकता हो तो, आवश्यक परामर्श भी प्रदान किया जाता है।

6